

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/जेयू/2010

दिनांक:.....

प्रति,

प्राचार्य,  
जीवाजी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध  
समस्त महाविद्यालय

विषय :- महाविद्यालय स्तर पर अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछडा वर्ग के हित संरक्षण हेतु विशेष प्रकोष्ठ के गठन बाबत।

महोदय,


उपरोक्त विषयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीति के अनुपालन में आपसे निवेदन है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछडा वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये एवं तत्संबंधी संपादित प्रगति की नियमित समीक्षा करने के लिये महाविद्यालयीन स्तर पर प्राचार्य की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछडा वर्ग प्रकोष्ठ गठित करने का कष्ट करें। इस प्रकोष्ठ में विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित रखें तथा इस प्रकोष्ठ की सत्रावधि में न्यूनतम तीन बैठक अवश्य आयोजित करें।

भवदीय

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. सचिव अनुसूचित जाति, जनजाति, राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली ।
2. आयुक्त, उच्चशिक्षा म०प्र०शासन भोपाल।
3. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
जन प्रवर्क अधिकारी